

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2 समस्त राजकीय एवं निजी प्रौद्योगिकी/प्रबन्धन/शोध एवं विकास संस्थान/संगठन /महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3 समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।
- 4 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2018

विषय: "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 6.1 इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश में शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नॉन-प्राफिट संगठनों/कारपोरेट्स/उद्योग संघों जैसे मेजबान (Host) संस्थानों में उपरोक्त नीति के अन्तर्गत से इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

3- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

- 3.1 शासकीय मेजबान संस्थानों की स्थिति में टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप के 75 प्रतिशत की सीमा तक तथा अन्य मेजबान संस्थानों की स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा तक पूंजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम धनराशि रु 1 करोड़ होगी।
- 3.2 यही सीमा विद्यमान इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों को क्षमता विस्तार की स्थिति में उनके सुदृढीकरण हेतु लागू होगी।
- 3.3 यदि उपादान धनराशि में वृद्धि की आवश्यकता हो तो उस पर सशक्त समिति द्वारा केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- 3.4 इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रु 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- 3.5 इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक से सम्बद्ध, प्रति परामर्शदाता/ उपदेशक (Mentors) रु 2 लाख मानदेय प्रदान किया जायेगा। यह सहायता कोचिंग, पथ-प्रदर्शन, यात्राओं, अस्थायी-आवास इत्यादि व्ययों के निमित्त होगी। इसके अतिरिक्त कोच (Coach) का भी चयन किया जायेगा जो कि स्थानीय परितंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो।

4 उपरोक्त हेतु पात्र संस्थानों/संस्थाओं/संगठनों को अनुदान प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

1 अनुदान हेतु संस्थानों की पात्रता तथा उनसे अपेक्षार्य

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्ट-अप परितंत्र को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नॉन-प्राफिट संगठनों/कारपोरेट्स/उद्योग संघों जैसे मेजबान (Host) संस्थानों में अथवा पी.पी.पी. माध्यम से इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

चयनित इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट-अप्स को निम्नवत् सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे:-

कार्यालय स्थान तथा सहभागी प्रशासनिक सेवार्य (office space and shared administrative services)

प्रशिक्षण अथवा उच्च गति इन्टरनेट सम्पर्क जैसी सेवार्य (services such as training or High-Speed Internet access)

नेटवर्किंग कार्यकलाप तथा विपणन सहायता (Networking activities and Marketing assistance)

उच्च शैक्षणिक संसाधनों से सम्पर्क (Links to higher education resources)

अन्य सहायता जो स्टार्ट-अप्स के लिए उपयुक्त हो।

2 प्रोत्साहन अवधि

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, इन्क्यूबेटर्स का परिचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।

3 आच्छादन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4 पारिभाषा

4.1 "वर्ष का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

4.2 "कार्यदायी संस्था" अथवा "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी से है। शासन द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० को "कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी" नामित किया गया है।

4.3 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी०आई०यू०) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के प्रस्तर 7 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

4.4 निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने वाली किसी संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) के रूप में स्वीकार किया जायेगा:-

- संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो।
- स्टार्ट-अप्स को परिभाषित करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 501 (F) दिनांक 23 मई 2017 में भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के नियमों एवं शर्तों को संस्था (entity) पूरा करती हो।

टिप्पणी: कोई अन्य शर्त, जैसाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये।

5 इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों के चयन एवं पंजीगत अनुदान देने की प्रक्रिया

- 5.1 संस्थान द्वारा अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का कार्यदायी संस्था द्वारा परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।
- 5.2 संस्थान द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा संस्थान से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को संस्थान द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
- 5.3 कार्यदायी संस्था द्वारा, प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त संस्थान को पूंजीगत अनुदान दिये जाने हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।
- 5.4 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। मेजबान संस्थान को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों से अवगत कराया जायेगा।
- 5.5 मेजबान संस्था को दी जाने वाली अनुदान धनराशि दो समान किशतों में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रथम किशत के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप की 25 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी। पूंजीगत अनुदान की द्वितीय किशत का भुगतान संस्थान को, उसके द्वारा किए जाने वाले समानुपातिक व्यय तथा शासन द्वारा दी गई प्रथम किशत की 70 प्रतिशत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी। निजी मेजबान संस्थान की स्थिति में, उसके द्वारा व्यय के पश्चात, प्रथम एवं द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 5.6 संस्था को स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।
- 6 इन्वेंचबेटर्स/उत्प्रेरकों को परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति की प्रक्रिया
- 6.1 परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु संस्थान द्वारा अपने आवेदन वार्षिक आधार पर कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका परीक्षण कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा एवं परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।
- 6.2 आवेदन-पत्र के साथ, संस्थान के पिछले वर्ष के वार्षिक-लेख से हानि-लाभ लेख की चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- 6.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त परिचालन व्ययों से हुई हानि की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता अवमुक्त की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु 5 लाख प्रति वर्ष होगी।
- 6.4 किसी वित्तीय वर्ष में परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून होगी।
- 7 परामर्शदाता/उपदेशक को मानदेय धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया

- 7.1 संस्थान द्वारा परामर्शदाता/उपदेशक (Mentors) का पैनल तैयार किया जायेगा। इसे कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत कर परामर्शदाता/ उपदेशक (Mentors) की नियुक्ति करने के पूर्व पैनल पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- 7.2 परामर्शदाता/उपदेशक (Mentors) को मानदेय धनराशि हेतु आवेदन का परीक्षण कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा एवं अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।
- 7.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को मानदेय धनराशि वास्तविक आधार पर, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इन्क्यूबेटर रु 2.00 लाख प्रतिवर्ष होगी, अवमुक्त की जायेगी। किसी वर्ष में संस्थान को प्रदत्त मानदेय धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अगले वर्ष हेतु देय मानदेय धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 7.4 नोडल एजेन्सी द्वारा एक विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध किया जायेगा जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि विधिक, वित्तीय, निवेशक, विपणन एवं लेखा इत्यादि से होंगे। इनके द्वारा दी गयी सेवायें स्टार्ट-अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। इन विशेषज्ञों को मानदेय की प्रक्रिया उपरोक्त विधि के अनुसार होगी।
- 8 स्थान के लीज/रेन्टल का प्रतिपूर्ति: इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक जिस स्थान पर परिचालन-रत हों उसके लीज/रेन्टल शुल्क के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जिसकी सीमा रु 10 लाख प्रति वर्ष होगी, 5 वर्ष अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रोत्साहन की प्राप्ति की प्रक्रिया एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी शासनादेश से शासित होगी, किन्तु बन्देलखण्ड/पूर्वांचल क्षेत्र की इकाइयों हेतु अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक को अनुमन्य नहीं होंगे।
- 9 अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति: इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरक, भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क्रय किये जाने या पट्टे पर लिये जाने हेतु, प्रथम ट्रांजेक्शन पर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। इस प्रोत्साहन की प्राप्ति की प्रक्रिया एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी छूट सम्बन्धी शासनादेश से शासित होगी। पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा पंजीयन शुल्क की रसीद तथा आवश्यक दस्तावेज, नोडल इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 10 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति: पात्र इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। इस प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी शासनादेश से शासित होगी।
- 11 पात्र संस्थान के दायित्व
प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए पात्र संस्थान द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था/ पी.आई.यू./आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।
- 12 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

13 प्रोत्साहन अनुदान वि रस्तीकरण हेतु मानदण्ड

संस्थान द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्थान द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत व्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

5- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

6- आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 895/78-1-2016-25/2012टीसी-3 दिनांक 09 अगस्त 2016 को एतद्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संलग्नक: यथा उपरोक्त

भयदोय,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-43(1)/78-1-2018/तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 2 निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3 निजी सचिव, उद्योग उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र0।
- 6 अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 8 अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, 30प्र0 शासन।
- 9 अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, 30प्र0 शासन।
- 10 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 11 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 12 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
- 13 प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, 30प्र0 शासन।
- 14 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
- 15 गार्ड फाइल।

Am
01-02-18

आजा से,

(हरि राम)

अनु सचिव